राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर

राजस्थान पाठ्यपुस्तक मण्डल परिसर, (पीछे का भाग)
2–2ऐ, झालाना डूँगरी जयपुर (राज.) 302004
फोनः– 2705067 फैक्सः– 01412705067

निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि **11.01.2010** दोपहर 1.00 बजे तक
निविदा खोलने का दिनांक **11.01.2010** सायं 3.00 बजे
निविदा शुल्क 100/– रूपये (नकद)

निविदा फार्म

1– एम्बेसडर /इण्डिका/टवेरा ए.सी. एवं नोन ए.सी. कार किराये पर लेने हेतु निविदा –

2– निविदादाता की फर्म का नाम पता मय टेलिफोन नं. ....
....
....

3– निविदादाता के घर का पता मय टेलिफोन/मोबाईल नं. ....
....

4– निविदा सूचना संख्या– आर एस ओ एस/जय/लेखा–1/निविदा/2009–10/12174 दिनांक 16.12.2009

5– निविदा फार्म शुल्क की राशि **रू 100**/–रसीद सं. ....दिनांक...............द्वारा जमा करवाई

6– निविदा के साथ **अरनेस्ट मनी** राशि **रू 10,000**/बैक ड्राफ्ट/बैकर चैक संख्या .... बैक का नाम ....द्वारा जमा करा दी गई है संलग्न है।

7– निविदा की दरें संलग्न परिशिष्ट 'अ' में प्रस्तुत कर दी गई।

8– निविदा फर्म द्वारा पूर्व में अन्य कार्यालय संस्थाओं को वाहन किराये पर दिये गये अनुबंधों का विवरण संलग्न है।

9– निविदादाता का सेवाकर पंजीयन प्रमाण पत्र (एस.टी. –2 फार्म) संलग्न है।

10– एस.आर–11 में वास्तविक डीलर होने का प्रमाण पत्र संलग्न है। :–

11– फर्म के नाम गाडियों का स्वामित्व होने का प्रमाण पत्र संलग्न है। :–

12– प्रस्तावित वाहनों का विवरण निम्नानुसार हैं :–

नाम	वाहन	संख्या	वाहन का रजिस्ट्रेशन न0	मॉडल	डीजल/पैट्रोल
एम्बेसेडर कार (नॉन एसी)					
एम्बेसेडर कार (एसी)					
इण्डिका (नॉन एसी)					
इण्डिका (एसी)					
टवेरा (नॉन एसी)					
टवेरा (एसी)					

नोटः– उपरोक्त दर्शाये गये वाहनों के टेक्स चुकता प्रमाण पत्र, रजिस्ट्रेशन एवं बीमा प्रमाण पत्रों की फोटो प्रतियां संलग्न है।

निविदादाता के हस्ताक्षर

राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल जयपुर

<u>वाहन किराये पर लेने हेतु आमंत्रित निविदा की शर्ते</u>

निविदा दाताओं को इन शर्तो को सावधानीपूर्वक पढे तथा निविदाएँ भेजते समय शर्तो का पूर्णरूपेण पालना करें।

निविदा फार्म जो इस कार्यालय से प्राप्त किया गया है, मूल रूप (शर्त सं.2 के अतिरिक्त) से जमा करना होगा।

1 निविदा फार्म जो इस कार्यालय से एवं इस कार्यालय की वेब साइट से प्राप्त किये जावेगें, ही मान्य होगें। उक्त के अतिरिक्त अन्य साधनों यथा फोटो स्टेट आदि से प्राप्त निविदाएं मान्य नहीं होगीं निविदा प्रपत्र टंकित अथवा स्याही पैन/बालपेन से भरा जाना चाहिए। पैन्सिल से भरा निविदा प्रपत्र मान्य नहीं होगा।

2 निविदा फार्म इस कार्यालय से निर्धारित शुल्क रू. 100 /-प्रति निविदा जमा करवा कर दिनांक **21.12.2009** से दिनांक **08.01.2010** तक सांयकाल 4.00 बजे तक कार्यालय से प्राप्त किये जा सकेगें निविदाए विभागीय वेब साइट www .rsos.org. पर भी प्रकाशित कर दी गई है।

3. निविदा दाता उचित समझे तो विभागीय वेब साइट से भी निविदा फार्म एवं शर्ते डाउन लोड कर निर्धारित शुल्क 100/- रूपये का जयपुर शहर में देय बैकर चैक/ड्राफ्ट जो निदेशक, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल जयपुर के पक्ष में हो। निविदा प्रस्तुत करते समय निविदा के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा अन्यथा निविदा रद्द समझी जावेगी।

4. **शर्त संख्या 1 से 3 के अतिरिक्त अन्य साधनो से यथा फोटो स्टेट आदि से प्राप्त निविदा रद्द समझी जावेगी।**

5 भरी हुई निविदा मजबूत एवं सीलबंद लिफाफे में बंद कर जिसके ऊपर कार्य का नाम ''<u>**वाहन किराये पर लेने हेतु निविदा**</u> '' स्पष्ट रूप से लिखा हो, प्रेषित की जानी चाहिए।

6 निविदा दाता पूर्ण रूप से भरी गई निविदा के साथ निर्धारित राशि डी.डी/बैकर चैक एवं आवश्यक प्रपत्र संलग्न कर सचिव, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल जयपुर 2-2ऐ राजस्थान राज्य पाठय् पुस्तक मण्डल परिसर झालाना संस्थानिक क्षेत्र जयपुर के पते पर व्यक्तिशः दिनांक 11.01.2010 को दोपहर 1.00 बजे तक जमा कर सकेगें। निर्धारित समय के पश्चात प्राप्त निविदाओ पर विचार नही किया जावेगा एवं वह स्वतः ही रद्द समझी जावेगी।

7. निविदा के साथ निर्धारित धरोहर राशि रूपये 10,000/-(अक्षरे रूपये दस हजार) मात्र का बैंकर चैक /डिमाण्ड ड्राफ्ट, निदेशक, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल,जयपुर के नाम से जो जयपुर शहर में देय हो संलग्न होना चाहिए। बिना धरोहर राशि अथवा निर्धारित राशि से कम राशि के प्राप्त होने पर निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।

8. निर्धारित समय तक प्राप्त निविदाओं को उपस्थित निविदादाता अथवा उनके प्रतिनिधि के समक्ष दिनांक **11.01.2010** को ही सांयकाल 3 बजे खोला जायेगा। यदि उक्त निर्धारित समय पर कोई निविदादाता अथवा उसका प्रतिनिधि उपस्थित नहीं होता है, तब भी विभाग की गठित समिति द्वारा बिना उनका इंतजार किए निर्धारित समय पर निविदाओं को खोल लिया जावेगा।

9. दरें शब्दों एवं अंको दोनो में लिखी होनी चाहिए तथा उनमें विरोधाभास नहीं होना चाहिए। इसमें कोई त्रुटियां (**Errors**) /कटिंग अथवा उपरिलेखन नही होना चाहिए। यदि कोई त्रुटि ज्ञात हो तो नया अंकन काट कर दूसरी प्रविष्टि अलग से स्पष्ट रूप से की जानी चाहिए एवं दिनांक सहित उन पर लघु हस्ताक्षर किए जाने चाहिए।

10. यदि निविदादाता ऐसी शर्ते आरोपित करता है जो इसमें वर्णित शर्तों के अतिरिक्त है या उनके विरोध में है तो ऐसी शर्ते मान्य नहीं होगी एवं वह स्वतः ही निरस्त मानी जायेगी, जब तक कि क्रेता अधिकारी द्वारा जारी किये गये निविदा स्वीकृति में विशेष रूप से उल्लेखित न किया गया हो।

11. निविदादाता निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा तथा अन्त में निविदा की समस्त शर्तों को स्वीकार करने के प्रमाण में हस्ताक्षर करेगा।

12. निविदादाता निविदा को उसके प्रतिनिधि की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने पक्ष में समर्थन कराने की अनैतिक चेष्टा की जाती है तो ऐसे निविदाकार को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।

13. निविदादाता के पास फार्म नं. एस. टी. –2 होना अनिवार्य है।

14 अनुबन्धित वाहन का सामान्यतया प्रातः 9.30 बजे कार्यालय भवन मे पहुॅचना आवश्यक होगा तथा उसी समय से वाहन विभागीय ड्यूटी पर माना जावेगा। कार्य समय सामान्यत : प्रातः 9.30 बजे से सायं 7.30 बजे रहेगा। आवश्यकता पड़ने पर निर्धारित समय से पूर्व भी वाहन मंगवाया जा सकता है एवं निर्धारित समय पश्चात भी रोका जा सकता है । जिसका अतिरिक्त भुगतान देय नहीं होगा।

15. वाहन को हमेशा अच्छी हालत में रखना होगा।

16. निविदा अवधि में वाहन की टूटफूट, चालान, शास्ति आदि की समस्त जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।

17. निविदा अवधि में अनुमोदित दरें अपरिवर्तनीय रहेगी।

18. निविदाकार के स्वयं के नाम अथवा उसकी फर्म के नाम गाडियां होना आवश्यक है। स्वयं के नाम अथवा फर्म के नाम से होने के साक्ष्य से संबंधित दस्तावेजों की फोटो प्रति संलग्न करना एवं स्वयं का घोषणा प्रस्तुत करना आवश्यक है।

19 कार्यालय को भिजवाये जाने वाले वाहन के वाहन चालक के पास स्थायी ड्राइविंग लाइसेन्स होना अनिवार्य है।

20. निविदादाता यह सुनिश्चित करे कि राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल जयपुर को उपलब्ध कराए जाने वाले वाहन का मॉडल वर्ष 2006 से पहले का नहीं हो।

21 निविदा में दर्शाये गए वाहनों के टैक्स चुकता प्रमाण पत्र, रजिस्ट्रेशन इन्शोरेन्स की फोटो प्रति संलग्न करें।

22 (1) **करार एवं प्रतिभूति निक्षेप (Agreement and Security Deposit)**

(i) सफल निविदादाता को आदेश के प्राप्त होने से 7 दिन की अवधि के भीतर स्वयं के खर्चे पर एक करार रू 100/– के नान ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर निष्पादित करना होगा। करार पत्र का प्रारूप कार्यालय से प्राप्त किया जा सकेगा।

(ii) स्वीकृत निविदाकार को स्वीकृत मासिक दर के आधार पर वार्षिक राशि पर पांच प्रतिशत के बराबर प्रतिभूति राशि जमा करानी होगी। यह राशि किसी भी सूरत में बयाना राशि से कम नहीं होगी। प्रतिभूति निम्न में से किसी एक रूप में स्वीकार की जा सकेगी :–

(क) नकद/बैंक डाफ्ट /बैंकर चैक/चालान की रसीद प्रति

(ख) डाक घर बचत बैंक पास बुक जिसे विधिवत गिरवी (Pledge) रखा जायेगा।

(ग) अल्प बचतों को प्रोत्साहन देने के लिए राष्ट्रीय बचत योजनाओं के अन्तर्गत राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र, डिफेन्स सेंविग सर्टिफिकेट्स या कोई अन्य स्क्रीप्ट/विलेख यदि उन्हें गिरवी रखा जा सकता हो, को गिरवी रखना होगा। इन प्रमाण पत्रों को उनके समर्पण मूल्य (Surrender Value) पर स्वीकार किया जायेगा।

(iii) निविदाकार यदि चाहे तो निविदा के समय जमा कराई गई बयाना राशि को प्रतिभूति राशि के लिए समायोजित करा सकेगा।

(iv) प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जायेगा।

(2) **प्रतिभूति निक्षेप का समपहरण (Forfeiture)**

(i) जब संविदा की शर्तो का उल्लधंन किया गया हो।

(ii) जब निविदादाता आपूर्ति संतोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हों।

(iii) प्रतिभूति निक्षेप को समपहृत करने के मामले मे युक्तियुक्त समय पर पूर्व नोटिस दिया जायेगा। इस संबंध में क्रेता अधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा।

(3) करार पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर स्टाम्प लगाने का व्यय निविदादाता द्वारा वहन किया जायेगा तथा विभाग को उस करार की एक निष्पादित स्टाम्पशुदा प्रतिपडत (Counter foil) निशुल्क प्रस्तुत की जायेगी।

23 निविदाए समस्त कर सहित प्रस्तुत करनी होगी अर्थात् सेवाकर, आदि विभाग द्वारा देय नही होगा अर्थात स्वीकृत दर के अतिरिक्त कोई भी राशि करो के पेटे अतिरिक्त देय नही होगा। करो का भुगतान ठेकेदार को नियमानुसार स्वयं करना होगा।

24 बयाना राशि का समपहरण (Forfeiture) – निम्नलिखित मामलों में बयाना राशि को जब्त/समपहृत (Forfeiture) किया जा सकेगा :–

(i) जब निविदादाता निविदा खोलने के बाद किन्तु निविदा स्वीकार किये जाने से पूर्व अपने प्रस्ताव को वापस ले लेता है या उसमें उपान्तरण (Modification) करता है।

(ii) यदि वह विनिर्दिष्ट समय के भीतर करार का निष्पादन नहीं करता है।

(iii) जब वह विहित समय के भीतर प्रतिभूति राशि जमा नही कराता है।

(iv) क्रय आदेश देने के पश्चात निर्धारित समय के भीतर कार्य प्रारम्भ नही करता है अथवा निविदा शर्तो की पालना करने में असमर्थ रहता है।

25 विभाग को उपलब्ध कराये जाने वाले वाहन पूर्णतः फिट एंव सही हालत में होने चाहिए। वाइपर, हैड लाईट, डोम लाइट, इण्डिकेटर सही कार्य कर रहे हो तथा खिडकियों में शीशे सही हालत में हो, अन्यथा प्रत्येक कमी के लिए समिति के निर्णयानुसार जुर्माना लगाया जा सकेगा।

26. सफल निविदाकार के विभाग द्वारा टेलिफोन पर सूचित करने पर, 1 घंटे के भीतर वाहन उपलब्ध कराना होगा।

27 निविदाकार द्वारा भेजे गये वाहन के कि.मी. की गणना कार्यालय से गतव्य स्थान तक की जावेगी। यही प्रक्रिया वापसी आने के लिए मान्य होगी।

28 विभाग द्वारा वाहन की मांग करने पर फर्म को डीजल/पेट्रोल (फुल टैंक) भरवाकर भिजवाना होगा। तथा लम्बी दूरी के लिए चालक को समुचित राशि उपलब्ध करानी होगी।

29 यात्रा के दौरान वाहन दुर्घटना ग्रस्त होने पर विभाग का कोई दायित्व नही होगा। मरम्मत पर होने वाले व्यय के लिए निविदाकार स्वयं उत्तरदायी होगा। किन्तु दर्घटना में विभाग को कोई हानि होती है तो उसके लिए निविदाकार उत्तरदायी होगा तथा नुकसान की भरपाई करनी होगी ।

30. राजपत्रित /साप्ताहिक अवकाश के दिनों में आवश्यकता होने पर वाहन को बुलाया जा सकता है। जिस के लिए पृथक से कोई भुगतान नहीं दिया जावेगा।

31. निविदाकार द्वारा समय पर वाहन उपलब्ध नहीं कराने पर विभाग अपने स्तर पर वैकल्पिक व्यवस्था कर लेगा और ऐसी स्थिति पर होने वाले व्यय को निविदाकार से वसूल किया जाएगा एवं निविदादाता के विरूद्ध जुर्माना भी किया जावेगा ।

32 वाहन चालक सदाचारी एवं व्यवहार कुशल होना चाहिए। किसी नशे का सेवन न करता हों। अर्थात् अच्छे चाल–चलन का व्यक्ति होना आवश्यक है।

33 सफल निविदाकार की स्वीकृति दरें अनुबंध की दिनांक से एक वर्ष के लिए स्वीकृत की जावेगी। निविदा की अवधि आपसी सहमति से इससे आगे 12 माह के लिए और बढाई जा सकती है। निविदा यद्यपि एक वर्ष के लिए स्वीकृत की जावेगी। किन्तु यदि विभाग को वाहन की एक वर्ष की अवधि के पहले से आवश्यकता नहीं होने अथवा सेवा संतोषप्रद नहीं होने पर विभाग निविदाकार की सेवाएॅ एक माह पूर्व के नोटिस पर समाप्त करने के लिए स्वंतत्र होगा लेकिन यह अधिकार निविदाकार को नही होगा।

34. मासिक किराये पर लिये गये वाहन के लिए न्यूनतम कि.मी. की गणना के लिए लोकल एवं बाहर की यात्राऐं सम्मिलित करते हुए किराये की गणना की जावेगी। बाहर की यात्राओं के लिए केवल रात्रि चार्जेज देय होगा।

35 ए.सी वाहन की ए.सी दरों पर सामान्यतः वर्ष के माह अप्रैल से माह अगस्त (5माह) के लिए ही भुगतान किया जावेगा। शेष माहों में नान ए.सी. की दर पर भुगतान किया जावेगा। किन्तु गाडी के उपयोगकर्ता द्वारा उपरोक्त माहो के अतिरिक्त माहो में वाहन का उपयोग करने का प्रमाणीकरण करने के आधार पर ए.सी. की दरों पर भुगतान किया जा सकता है।

36 राजस्थान राज्य में उपयोग लिए जाने वाले वाहन (टैक्सी) हेतु पार्किंग शुल्क एवं टोल टैक्स ही देय होगें परन्तु राज्य (राजस्थान) से बाहर की यात्राओं के लिए उस राज्य में लागू पथकर/टोल टैक्स एवं पार्किंग शुल्क मूल रसीदे निविदादाता द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर देय होगा।

37 किराये पर लिये वाहन की लॉग बुक नियमित रूप से भरनी होगी एवं यात्रा समाप्ति के पश्चात लॉग बुक संबंधित अधिकारी से प्रमाणित (प्रतिदिन) भी करवानी होगी।

38 लोकल यात्रा एवं मुख्यालय से बाहर की यात्रा हेतु भी वाहन आवश्यकतानुसार राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल जयपुर निविदादाता से वाहन निविदा अवधि में ले सकेगें जिसका भुगतान निविदा में अनुमोदित दरो अनुसार किया जावेगा।

39 मासिक किराये पर लिये गये वाहन के लिए न्यूनतम कि.मी. की गणना के लिये लोकल एवं बाहर की यात्राऐं सम्मिलित करते हुए किराये की गणना की जावेगी । बाहर की यात्राओं के लिए रात्रि चार्जेज देय होगा। 1000/1200/1500 कि.मी. से अधिक चलने पर बाहर की यात्राओं के जो दरें देय होगी, दी जावेगी।

40 मासिक वाहन के अतिरिक्त वाहन किराये पर लिया जावेगा तो वाहन स्वामी को इस संबंध में कार्यालय द्वारा 01 दिवस पूर्व सूचित किया जावेगा एवं इन लिये गये वाहन/वाहनों के किराये का भुगतान अनुमोदित दरो (बाहरी यात्रा/लोकल यात्रा) अनुसार किया जावेगा जिसमें राज्य से बाहर का पथ–कर/टोल टैक्स एवं अन्य चार्जेज पृथक से देय होगें।

41 निविदा अवधि में उत्पन्न होने वाले समस्त वैधानिक दायित्वों, शुल्क, करों, सेवा कर, सरचार्ज, बीमा, आयकर आदि के दायित्वों का समय पर भुगतान करने व वहन करने का दायित्व पूर्ण रूप से निविदादाता का होगा। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर द्वारा इस बाबत् कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जावेगा।

42 वाहन के कि.मी. की गणना राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल जयपुर के कार्यालय से की जावेगी

43 निदेशक/ सचिव, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल जयपुर किसी भी निविदा को स्वीकार करने अथवा नहीं करने तथा बिना कोई कारण बतलाए किसी भी निविदा को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

44 निविदा को न्यूनतम दर के आधार पर स्वीकृत किया जायेगा । विभाग गुणावगुण के आधार पर न्यूनतम दर से भिन्न अन्य उच्च दर पर कार्य करवा सकता है। यह कार्य किसी एक निविदाकार अथवा एक से अधिक निविदाकार को स्वीकृत करने का अधिकार विभाग के पास आरक्षित रहेगा।

नोटः– मैने /हमने निविदा सूचना एवं संलग्न समस्त शर्ते पढ़ एवं समझ ली है। व हमें मान्य है।

निविदादाता के हस्ताक्षर

निविदा दाता का नाम :– ....

पूर्ण पता :– ....

राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर

राजस्थान पाठ्यपुस्तक मण्डल परिसर, (पीछे का भाग)
2–2ऐ, झालाना डूँगरी जयपुर (राज.) 302004
फोनः– 2705067 फैक्सः– 01412705067

क्रमांकःआर.एस.ओ.एस. / जय / लेखा–1 / निविदा / 2009–10 / 12174 दिनांक – 16.12.2009

किराये पर वाहन हेतु निविदा सूचना

कार्यालय उपयोग हेतु एक कार (इण्डिका), एक वर्ष के लिए मासिक आधार पर एवं अन्य वाहन आवश्यकतानुसार प्रतिदिन काल बेस के आधार पर किराये पर लिये जाने है। इच्छुक रजि. फर्मो / व्यवसायियों / कम्पनियों से खुली निविदाएँ आमन्त्रित की जाती हैं।

(राशि रूपयों में)

कार्य का नाम	अनुमानित वार्षिक लागत	धरोहर राशि	निविदा शुल्क	
			नकद	डाक द्वारा
इंडिका / एम्बेसडर / टवेरा	5,00,000	10,000 / –	100 / –	150 / –

निविदा फार्म इस कार्यालय से निर्धारित शुल्क नकद अथवा बैंकर चैक / डिमाण्ड ड्राफ्ट (निदेशक राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल के पक्ष में देय) द्वारा राशि दिनांक 21.12.2009 से 08.01.2010 तक किसी भी कार्य दिवस में सायंकाल 4.00 बजे तक प्राप्त किये जा सकेंगें। पूर्ण रूप से भरे हुए एवं सीलबन्द निविदा फार्म दिनांक 11.01.2010 को अपराहन 1.00 बजे तक जमा किये जा सकेंगें। प्राप्त निविदाएँ दिनांक 11.01.2010 को सायं 3.00 खोली जावेगी। निविदा सूचना, प्रपत्र एवं शर्ते आदि विभागीय बेवसाइट www.rsos.org पर भी उपलब्ध है, जहाँ से इच्छुक निविदादाता निविदा फार्म एवं शर्तें डाउनलोड कर सकते है तथा पूर्णरूप से भरे गये निविदा प्रपत्र के साथ निर्धारित शुल्क रूपये 100 / – का बैकर चैक / डी.डी. जो निदेशक, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर के पक्ष में देय हो निविदा के साथ संलग्न कर निविदा प्रस्तुत कर सकेंगें।

सचिव
राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल
जयपुर